

Additional Attachment -2.1

परियोजना का नाम :— मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग।

प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 3.50 किमी० कार्य की स्वीकृति शासन देश संख्या 1440 / 111-(2) 11-05 (प्रा०आ०) / 2010 दिनांक 28.03.2011 के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू-भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगड़ण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार-बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम थापली एवं रहेली के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गाँवों से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त क्षेत्रीय गाँव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। यह मोटर मार्ग मुख्य भुजान से बेतालघाट मोटर मार्ग के किमी० 7 से ग्राम खैरनी नामक सीन के पास से ग्राम रहेली तक 3.500 किमी० लम्बाई में निर्मित किया जाना है।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 सरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृति सरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।


सरेखण नं०-१ जो लाल रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व निर्मित मोटर मार्ग भुजान से बेतालघाट मोटर मार्ग के किमी० 7 से प्रस्तावित किया गया है। जिसे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। इसके अनुसार सरेखण में सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है। इस समरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस सरेखण के अन्तर्गत वृक्ष तथा बैन्ड कम आते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है, इस सरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत हैं।

सरेखण नं०-२ जो नीले रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व निर्मित मोटर मार्ग भुजान से बेतालघाट मोटर मार्ग के किमी० 12 से प्रस्तावित किया गया है। जिसे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। इसमें अधिक लम्बाई होने के साथ बड़े व्यास के विभिन्न प्रजाति के वृक्ष एवं वन पंचायत वन भूमि प्रभावित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानकों के अनुसार सही ग्रेड न मिलने एवं पूर्व निर्मित मोटर मार्ग को अत्यधिक क्षति होगी तथा ग्रामवासी भी सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखणों का भू-वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, तथा उनके द्वारा सरेखण नं०-१ को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीक, पर्यावरणीय एवं भू गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित स्वीकृति समरेखण नं०-(1) के अन्तर्गत मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से 3.000 किमी० लम्बाई तथा 9.00 मीटर चौड़ाई के लिए कमशः सिविल सोयम एवं नाप भूमि आती है, जिसमें 2430 मीटर लम्बाई में सिविल सोयम भूमि तथा 1071 मीटर लम्बाई में नाप प्रभावित भूमि होती है।

अतः 3.00 किमी० के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (सिविल सोयम) लम्बाई 2430 मीटर तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में प्रभावित होने वाली 2.1870 हैं वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 86 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०निंवि०
निर्माण खण्ड सं०११ विभाग
नैनीताल।
नैनीताल।


अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०निंवि०
निर्माण खण्ड सं०११ विभाग
नैनीताल।
नैनीताल।